राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

राजस्थान सरकार का उपक्रम

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228065 ई–मेल : itcell-rmsc-rj@nic.in

क्रमांक : प.04( )/आरएमएससी/लॉजिस्टिक/2012/1231 दिनांक : 28/8/2012

समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर,
समस्त प्राचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीक्षक, सम्बद्ध अस्पताल/
प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सालय एवं दंत महाविद्यालय,
संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समस्त)।

विषयः– औषधि भण्डारों (Sub Stores) व औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) का कम्प्यूटराइजेशन एवं **"निःशुल्क दवाईयों का विवरण पत्र"** के सम्बन्ध में निर्देश।

सन्दर्भ :– निगम का समसंख्यक पत्र क्रमांक 1061 दिनांक 03.08.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्नानुसार कुछ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व DPCs ने मार्गदर्शन चाहा है इसके क्रम में निम्न स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश जारी किये जाते है :–

1. **इन्टरनेट कनेक्टीविटी** – ई–औषधि सॉफ्टवेयर से जुडने के लिये इन्टरनेट कनेक्टीविटी हेतु सभी सबस्टोर व डीडीसी पर ब्रॉड–बैण्ड कनेक्शन या डेटाकॉर्ड (जिसकी स्पीड कम से कम 7 से 10 एमबीपीएस हो) लिया जा सकता है। अपवाद स्वरूप जिन PHCs पर किसी प्रकार की कनेक्टीविटी नहीं है, तो ऑफ लाईन मोड़ (Off Line Mode) मे काम करें व निकटतम ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या PHC/CHC पर जाकर प्रति सप्ताह डेटा अपडेट करें।
2. **प्रिन्टर** – 80 कॉलम डॉट मेट्रिक्स प्रिन्टर काम मे लिया जाना है। प्रिन्टर सर्विस प्रोवाईडर एजन्सी द्वारा कम्प्यूटर के साथ उपलब्ध कराया जाना है।
3. **स्टेशनरी** – डॉट मेट्रिक्स प्रिन्टर 80 कॉलम पर कार्बनलैस (सिंगल) स्टेशनरी(चौडाई 10 inch तथा लम्बाई 12 inch) काम में लेनी है। सिंगल पेज पर दो या तीन मरिजों को रसीद दी जा सकती है। जिसे स्थानीय स्तर पर बाजार से क्रय किया जाना है। इसके लिए राशि रू. 2000.00 प्रतिमाह (अधिकतम) बजट का प्रावधान दिया गया है। दवा विवरण पत्र के लिए प्री–प्रिन्टेड स्टेशनरी की आवश्यकता नही है।
4. **दवा वितरण प्रपत्र का फॉरमेट** – दवा विवरण पत्र ई–औषधि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रिन्ट होगा।

Mukhyamantri Nishulk Dava Yojna
Government of Rajasthan

Hospital: .... DDC : ....
Prescribed for : .... Issue No.: ....
By Doctor: .... Date: ....../....../......
CR No.: ....

S.N.	Drug Name	Batch No./ Expiry Date	Quantity Issued to Patient	Rate (Rs)	Value (Rs) (Qty.X Rate)	Prevalent Market Price.
1	Paracetamol Tablets IP 500 mg	DXY-214 15/05/2013	4	**1.88/10 Tab**	0.75	10.00/**10 Tab**
2	Ceftazidime Injection IP 1g	XYZ-0243 11/03/2014	2	**19.9/ Inj.**	39.8	350.00/ **Inj.**
				Total (Rs.)	**40.55**	**360.00**

Rs. In words- **Forty Rupees and fifty five paisa Only**

"मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत ये दवायें मरीज को निःशुल्क दी गई है"

Signature

Rajasthan Medical Services Corporation

5. **इनवर्टर/यूपीएस क्रय करने बाबत्**
1 के.वी. का इनवर्टर/यूपीएस डीजीएसएनडी दर पर उपलब्ध है।
जिसका विशेष वर्णन (Specification) निम्न प्रकार है :– दर्शाये गये यूपीएस/इनवर्टर क्रय किया जाना है:–

Items Name	Specification	Rs.
UPS	On-Line UPS with isolation transformer suitable for single phase AC input & single phase AC output, Floor Mounted Type Rating of UPS: 1.0KVA,Indicative Back-up time: 60Minutes **OR**	Rs. 23500 Twenty-three Thousand five Hundred Only
Inverter	Schedule - 2 Sine Wave Output Voltage Inverter Rating: 1.0 KVA, Back up time: 180 Minutes, Minimum VAH: 4320	Rs. 20950 Twenty Thousand Nine Hundred Fifty Only (CST/VAT Extra @14%)

उपरोक्त दर्शाये गये Specification में यूपीएस 1 के.वी. के साथ 60 मिनट का बैकअप वाला यूपीएस पर एक कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर का लोड देने पर यूपीएस का बैकअप करीब 2 घण्टे से अधिक होता है एवं इनवर्टर 1 के.वी. के साथ 180 मिनट (3 घण्टे) बैकअप के साथ उपलब्ध है, जिसमें करीब 300 मिनट (4–5 घण्टे) से अधिक का बैकअप होता है। जिन चिकित्सा संस्थान पर बिजली की कटौती 4 से 5 घण्टे तक होती हो वहां पर इनवर्टर लिया जाना आवश्यक है एवं जिन चिकित्सा संस्थानों पर 1 से 3 घण्टे तक की बिजली कटौती होती है वहां यूपीएस/इनवर्टर लिया जा सकता है।

यूपीएस/इनवर्टर पर केवल एक कम्प्यूटर व एक प्रिन्टर का ही लोड दिया जाना है। इस पर इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का विद्युत भार नही दिया जाए।

6. **Computer with trained personnel -** इस हेतु संलग्नानुसार वित विभाग द्वारा जारी परिपत्रों क्रमांक प.9(1) वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 एवं क्रमांक प.9 (1) वित – 1/(1)/बजट/2010 दिनांक 25.07.2011 के अनुरूप नियमानुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (machine along with trained personnel) सर्विस प्रोवाइडेड ऐजन्सी से राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) के माध्यम से लिया जाना है।

उपर्युक्तानुसार आदेशों की अनुपालना कर क्रियान्वति दिनांक 31.08.2012 तक सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाना सुनिश्चित कराएँ। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सया शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 07.09.2012 को होने वाली Video Conference मे DDCs Computerization की प्रगति का अवलोकन किया जाएगा।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(डॉ० समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, (जन स्वा0/आरसीएच/एड्स कन्ट्रोल/चिकित्सा प्रशासन/आईईसी) राजस्थान, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी/कार्यकारी निदेशक (समस्त) आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
8. सहायक महाप्रबन्धक (आई.टी.) आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी